पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0–03-36
क्रमांक247/2017
आरबीई सं0–148/2017
सं0 – ई/9/16/भाग – 18(IV)

दिनांक24-11-2

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–छटे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप पश्चिम मध्य रेलवे के रनिंग स्टाफ को 1.1.2006 से 31.8.2008 तक की अवधि की छुट्टी के वेतन के बकाया का भुगतान करने के बारे में एनएफआईआर द्वारा पीएनएम/एनएफआईआर की मद संख्या–57/2016

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 ई(पी एंड ए)।–2016/एफई.2/5 दिनांक 16.10.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू0 पी0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6– मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

80/C

RM-188

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

आरबीई सं./48/2017

सं. ई(पी एंड ए)II-2016/एफई.2/5

नई दिल्ली, दिनांक: 16.10.2017

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय : छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, पश्चिम मध्य रेलवे के रनिंग स्टाफ को 01.01.2006 से 31.08.2008 तक की अवधि की छुट्टी के वेतन के बकाया का भुगतान करने के बारे में एनएफआईआर द्वारा पीएनएम/एनएफआईआर की मद सं. 57/2016 में उठाया गया मामला।

संदर्भ : डब्ल्यूसीआर का दिनांक 21.12.2016 और 28.09.2016 का पत्र सं. डब्ल्यूसीआर/पी.एचक्यू/रनिंग/0/I 15/अलाऊ.रन.

******

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के पीएनएम की मद सं. 57/2016 में जीएस/एनएफआईआर ने 01.01.2006 से 31.08.2008 की अवधि के लिए छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, पश्चिम मध्य रेलवे के रनिंग स्टाफ को छुट्टी के वेतन के बकाया का भुगतान न किए जाने का मामला उठाया था।

2. इस मामले की बोर्ड कार्यालय में जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि आईआरईएम के नियम 924(आई) (के) और बोर्ड के दिनांक 17.07.1981 के पत्र सं. ई(पी एंड ए)II-80/आरएस-10 के पैरा 3.23 के अनुसार, 30% वेतन तत्व की गणना छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 01.01.2006 से 31.08.2008 तक की अवधि के लिए भी रनिंग स्टाफ की छुट्टी के वेतन के हिसाब से की जाएगी।

3. इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

मो. सलीम अहमद
(सलीम मो. अहमद)
उप निदेशक, ई. (पी एंड ए)-II
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एंड ए)II-2016/एफई.2/5

नई दिल्ली, दिनांक: 16.10.2017

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें